

(c) the steps taken by Government to check the rise in prices of woollens?

**The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah):** (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT-1895/63].

**हरिद्वार में भारी विद्युत् संयंत्र**

\*१३४. { श्री प्र० चं० बहगवा :  
श्री बिशनचन्द्र सेठ :  
श्री धवन :  
श्री भी० प्र० यादव :  
श्री रामचन्द्र उलाका :  
श्री नि० रं० लास्कर :  
श्री धूलेश्वर मीना :  
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री २३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार के बिजली का भारी सामान बनाने के प्रस्तावित कारखाने के बारे में रूसी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) उक्त संयंत्र को स्थापित करने के बारे में और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इस बीच जांच कर ली गई है और सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली गई है ।

(ग) संयंत्र के लिये मशीनरी और उपकरण प्रदान करने तथा इसको स्थापित करने में तकनीकी सहायता देने के लिये रूसी प्राधिकारियों के साथ शॉघ्र ही एक करार पर

हस्ताक्षर किये जायेंगे । प्राथमिक कार्य जिनमें संयंत्र-स्थल को समतल करने, उप-सड़कों रिहा-यशी मकानों का निर्माण करने तथा पानी और बिजली की सप्लाई करने और जल-निकासी का प्रबन्ध करने के काम शामिल हैं, प्रगति कर रहे हैं । प्रथम प्राथमिक ब्लॉक नम्बर II और इसकी नींवों के बारे में अग्रिम कार्यों को हाथ में ले लिया गया है ।

**Provident Fund Scheme for Advocates**

\*135. **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of Law be pleased to state:

(a) whether Government propose to institute a scheme of provident fund for advocates all over the country;

(b) whether such a scheme has been or is proposed to be instituted by any State Government; and

(c) if so, the broad features thereof?

**The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibhudehendra Misra):** (a) No, Sir.

(b) A scheme for constituting a Provident Fund for Advocates in the State of Kerala, sponsored by the State Bar Council, is under consideration of the Government of Kerala. Reply from the Governments of Andhra Pradesh, Bihar and West Bengal is awaited. Other State Governments do not have any such scheme under consideration.

(c) The broad features of the scheme under the consideration of the Kerala Government are that the State Government should legislate to provide for the security and betterment of the members of the legal profession. Under it every Advocate who practices for thirty years after his becoming a member of the Fund, shall be entitled to a payment upto a maximum of Rs. 15,000/-.

The management of the Fund shall vest in the Bar Council.